



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, जून 15—जून 21, 2014, शनिवार/ज्येष्ठ 25—ज्येष्ठ 31, 1936

No. 25] NEW DELHI, JUNE 15—JUNE 21, 2014, SATURDAY/JYAISTHA 25—JYAISTHA 31, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 17 जून, 2014

सा.का.नि. 131.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. लेखा अधिकारी	*01 (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300-34,800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
	(7)		(8)		(9)
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता
	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
	(10)		(11)		
	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।		प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-		

(11)

(क) (i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिनकी मूल कांडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. जमा ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ।

(ii) केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा पास हो;

या

सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या समतुल्य में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।

(iii) रोकड़, लेखा और बजट कार्य में 3 वर्ष का अनुभव हो ।

टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

लागू नहीं होता ।

(13)

पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 14034/17/2010-रा.भा. (प्रशि.)]

सूरज भान, निदेशक (प्रशिक्षण)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Department of Official Language)**

New Delhi, the 17th June, 2014

G.S.R. 131.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute (Accounts Officer) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer in the Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute (Accounts Officer) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in the regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of post	Classification	Pay Band and grade pay or pay scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Accounts Officer	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial.	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade pay of Rs. 4600	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)	
By deputation (including short term contract).	<p>Deputation (including short term contract) :</p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories or public sector undertakings or recognised research institutions or Universities or semi Government or Statutory or Autonomous organisation :</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post in the pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>(i) Bachelor's degree from a recognised University.</p> <p>(ii) A pass in the Subordinate Accounts Service conducted by any of the organised Accounts Department of the Central Government;</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>Successful completion of training in the cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management.</p> <p>(iii) Three years' experience in cash, accounts and budget work.</p> <p>Note 1 : The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	

(11)

Note 3 : For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendation of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(12)

(13)

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up the post.

[F.No. 14034/17/2010-OL(Training)]

SURAJ BHAN, Director (Training)